न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **137/16 (प्रा0पत्र)**

GCMS No. : 2016/00383

अनवान्

श्री सालगराम जी स्थान देह शाश्वत नाबालिग जरिये प्रार्थना मित्र :–

1. श्री शान्तिलाल पिता दामोदरदास वैरागी निवासी खेमली तह. मावली।
2. श्री लोगर पिता रामा खटीक निवासी खेमली तह. मावली।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भेरूदास पिता भंवरदास वैरागी निवासी खेमली तह. मावली।
2. श्री भरतदास पिता भंवरदास वैरागी निवासी खेमली तह. मावली।
3. श्री रामेश्वलाल पिता मोहनलाल सोनी निवासी खेमली तह. मावली।
4. श्री शंकरलाल पिता हीरालाल डांगी निवासी खेमली तह. मावली।
5. श्रीमती फैफाबाई पत्नी शंकरलाल डांगी निवासी खेमली तह. मावली।
6. श्री शैलेष पिता सुल्तानसिंह सरूपरिया निवासी मकान न. 4 ख 1 हिरणमगरी सेक्टर न. 11 उदयपुर।
7. श्री राजेश पिता सुल्तानसिंह सरूपरिया निवासी द ऑर्बीट अपार्टमेन्ट फ्लेट नम्बर 302 गोविन्दपुरा चम्पाबाग, उदयपुर।
8. पटवारी, पटवार हल्का खेमली तह. मावली।
9. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

..................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कल्याणसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री अशोक सेन, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1, 2
3. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 4, 5

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक :– 07.11.2022

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि गांव खेमली में श्री सालगराम जी का मन्दिर है जिससे पूरे गांव की आस्था जुडी हुई हैं। इस मन्दिर एवं मन्दिर से जुडी हुई सम्पति के विकास, देखरेख एवं सार सम्भाल, सुरक्षा के लिए गांव के मौतबीरान ने हम प्रार्थीगण को नियुक्त कर रखा है। इस प्रकार से हम प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत कर रहे है

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:29 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि मौजा खेमली पटवार हल्का खेमली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 2145, 2146, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2159, 4552/2149, 4553/2147 किता 12 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1, 2 के नाम हिस्सानुसार अंकित हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 2147, 2149 किता 2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 3 के नाम पर अंकित हैं। परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 2148 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 3 के नाम पर अंकित हैं। परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 2139, 2140, 2141, 2142, 2997/7 किता 5 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 4 के नाम पर अंकित हैं। परिशिष्ट य में वर्णित आराजी नम्बर 2143 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 5 के नाम पर अंकित हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के पुराने नम्बर 753, 754, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 770, 771/2, 772, 773 किता 14 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा थे जो श्री सालगराम जी की पूजा अर्चना करने के बदले में श्री सालगराम जी स्थान दे हके पुजारी भंवरदास वल्द नारायणदास वैरागी जो विपक्षी सं. 1, 2 के पिता थो उन्हे दी गई थी तथा पुजारी की हैसियत से उनके नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी।

4. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के पुराने आराजी नम्बर 753, 754, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 770, 771/2, 772, 773 में विपक्षी सं. 1, 2 के पूर्वज भंवरदास पिता नारायणदास वैरागी का नाम पुजारी की हैसियत से दर्ज था क्योंकि उस समय श्री सालगराम जी की पुजा अर्चना एवं सेवा चाकरी वगैरा पुजारी भंवरदास पिता नारायणदास जी वैरागी के द्वारा ही की जा रही थी और पूजा अर्चना के बदले खाने कमाने एवं उक्त जमीन से प्राप्त होने वाली आय से मन्दिर सम्बन्धित होने वाला खर्चा उठाकर मन्दिर की सुरक्षा करने के लिए उक्त कृषि भूमि को दे रखी है जिस पर मालिकाना हक श्री सालगराम जी स्थान देह का ही चला आ रहा था किन्तु विपक्षी सं. 1, 2 के पूर्वज श्री भंवरदास ने उक्त भूमि पुजारी की हैसियत से उसके नाम पर अंकित होने का नाजायज फायदा उठाते हुए राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत तरीके से श्री सालगराम जी स्थान देह की कुलिया जमीन को अपने नाम पर दर्ज करवा दी जो श्री भंवरदास की मृत्यु के बाद विरासत से उसके पुत्र भेरूदास एवं भरतदास (विपक्षी सं. 1, 2) ने अपने नाम पर दर्ज करा दी और जमीन अपने नाम पर अंकन होने के पश्चात् विपक्षी सं. 1, 2 ने परिशिष्ट ब, स में अंकित भूमि को विपक्षी सं. 3 को, परिशिष्ट द में अंकित भूमि को विपक्षी सं. 4 को, परिशिष्ट य में अंकित भूमि को विपक्षी सं. 5 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:29 IST
Reason: SelfAttested

नुमाईशी तौर पर विक्रय कर दी और विपक्षी सं. 3 से 5 ने भी उक्त भूमि को अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित करवा दी एवं परिशिष्ट अ में वर्णित भूमि में से विपक्षी सं. 1 भेरूदास ने अपने नाम अंकित सम्पूर्ण हिस्सा को भी विपक्षी सं. 6, 7 को नुमाईशी तौर पर विक्रय कर दी है जो श्री सालगराम जी स्थान देह के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है और इस अवैध परिवर्तन से विपक्षी सं. 1 से 7 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और न ही इससे श्री सालगराम जी स्थान दे हके स्वामित्व में कोई कमी आयी है। क्योंकि विपक्षी सं. 1, 2 के पूर्वज भंवरदास को उक्त भूमि श्री सालगराम जी की सेवा चाकरी के बदले में खाने कमाने के लिए ही दी थी। जिससे अब इनको उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करने का भी कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि भूमि को श्री सालगराम जी स्थान देह की खातेदारी की घोषित करा विपक्षीगण के नाम हटवाने के अधिकारी है और विपक्षी सं. 1, 2 को पुजारी पद से हटवाने के अधिकारी हैं।

5. यह कि उक्त मन्दिर के नाम की कृषि भूमि विपक्षी सं. 1, 2 के पूर्वजों को इस कारण सौंपी गई कि वह इस पर भगवान श्री सालगराम जी की हैसियत से काश्त करे और इस काश्त से होने वाली आय से मन्दिर में स्वयं सारा खर्चा चलावें। यह काश्त की आज्ञा जरिये श्री सालगराम जी दी गई है इस मन्दिर की उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है तो वह भगवान द्वारा काश्त करना माना जावेगा। इस कारण काश्त करने वाले को किसी भी प्रकार की खातेदारी या मुखालपाना कब्जे के अधिकार प्रवृत नहीं होते है। मन्दिर मूर्ति नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि के खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त करना किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत अधिकार खातेदारी के या अन्य प्रकार के प्रवृत नहीं होते हैं। श्री सालगराम स्थान देह की उक्त भूमि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के खाते नहीं हो सकती हैं। इस भूमि पर अन्य कोई भी इन्द्राज भगवान के मुकाबले शुन्य निष्प्रभावी होकर बेअसर हैं। इस कारण विपक्षी सं. 1, 2 के पिता (पुजारी) के नाम दर्ज की गई उक्त भूमि पुनः श्री सालगराम जी स्थान देह के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

6. यह कि हम प्रार्थीगण का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि पूर्व में श्री सालगराम जी स्थान दे हके नाम पर अंकित थी जिसे श्री सालगराम जी की सेवा पूजा के बदले में विपक्षी सं. 1, 2 के पूर्वज भंवरदास वैरागी को दी गई हैं लेकिन भंवरदास ने श्री सालगराम जी स्थान देह की भूमि में पुजारी की हैसियत से नाम दर्ज हो जाने का फायदा उठाते हुए रेवेन्यु ऐजेन्सी से स[illegible] कर उक्त भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवा दी और भंवरदास की मृत्यु के बाद [illegible] के नाम दर्ज भूमि को विपक्षी सं. 1, 2 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:29 IST
Reason: SelfAttested

अपने नाम पर अंकित करा विपक्षी सं. 3 से 7 को अलग–अलग नुमाईशी तौर पर बेच दी है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। वर्तमान में उक्त जमीन विपक्षी सं. 1 से 5 के नाम पर दर्ज होने से विपक्षी सं. 1 से 5 उक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर नाजायज लाभ प्राप्त करने पर आमादा हो रहे है और समझाने पर भी नहीं मान रहे है और उक्त भूमि पर कब्जा कर कारतामीर करने पर उतारू हो रहे है, जबकि ऐसा करने का विपक्षीगण को कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं कि विपक्षी सं. 1 से 7 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, कब्जा नहीं करे, नुकसान नहीं पहूंचावे, प्रवेश नहीं करे, कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करावें, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से हम प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

7. यह कि हम प्रार्थीगण ने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 22.08.2016 को विपक्षी सं. 1 से 7 को एक पंजीकृत सूचना पत्र इस आशय का भिजवाया था कि नोटिस प्राप्ति के सात दिवस के भीतर भीतर उक्त कृषि भूमि पुनः श्री सालगराम जी स्थान दे हके नाम पर कराने की कार्यवाही प्रारम्भ कर लिखित रूप से अवगत करावें। उक्त नोटिस भी विपक्षीगण को प्राप्त हो चुका है लेकिन आज दिवस तक उक्त भूमि पुनः श्री सालगराम जी स्थान देह के नाम पर कराने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की हैं इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना पडा हैं।

8. यह कि प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 20.08.2016 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी सं. 1 से 7 ने उक्त वर्णित भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी एवं दिनांक 22.08.2016 को अधिवक्ता के जरिये विपक्षीगण का नोटिस भिजवाया, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

9. अतः प्रार्थना है कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी सं. 1 से 7 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, कब्जा नहीं करे, नुकसान नहीं पहूंचावे, प्रवेश नहीं करे, कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, मौके व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। साथ ही विपक्षी सं. 6 से 8 को पाबंद किया जावे कि विपक्षी सं. 1 से 7 उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:29 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेज पंजीयन/नामान्तरकरण हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल प्रार्थना विपक्षी सं. 8 से 10 दस्तावेज पंजीयन नहीं करे, नामान्तरकरण न खोले, न स्वीकृत करे, रेकार्ड में परिवर्तन नहीं करे, रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

10. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 6, 7 अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी सं. 1, 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में वाद पत्र जरिये वाद मित्र प्रस्तुत करने हेतु आज्ञापक पूर्व आज्ञा एवं पूर्व अनुमति वादी की ओर से प्राप्त नहीं की गयी हैं न ही माननीय न्यायालय द्वारा ही ऐसी कोई अनुमति प्रदत्त की गयी है ऐसे में वादी का वाद पत्र विधि द्वारा बाधित है एवं वादी के द्वारा केवल मात्र लेकुना फिलअप करने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र बिना किसी दिनांक के पश्चात्वर्ती अवस्था में प्रस्तुत किया है जो कि निरस्तनीय हैं। वादी के वाद मित्रों द्वारा तथाकथित रूप से ग्रामवासियों द्वारा उन्हे मन्दिर की सुरक्षा एवं विकास कार्य के लिए नियुक्त किया गया है तो ऐसी सुरत में स्वयं वादीगण के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा ग्रामवासियों के प्रतिनिधी के तौर पर हस्तगत वाद मित्र के रूप में प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति में वादी का वाद प्रतिनिधिक वाद की श्रेणी में होकर आदेश 1 नियम 8 सिविल प्रक्रिया संहिता के विधिक प्रावधानों की पालना किये बगैर विधि द्वारा बाधित है ऐसी स्थिति में वादी का प्रार्थना पत्र आज्ञापक विधि के प्रावधानों द्वारा बाधित होकर इसी स्तर पर निरस्तनीय हैं।

11. यह कि प्रार्थीगण को उक्त मन्दिर बाबत् किसी प्रकार की नियुक्ति की जाना गलत होकर अस्वीकार है न ही प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा शाश्वत् नाबालिग की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति ही प्रद्त की गयी हैं। वादग्रस्त आराजीयात किसी प्रकार से पुजारी की हैसियत से राजस्व रेकार्ड में दर्ज न होकर वादग्रस्त आराजीयात माफी की होकर विपक्षी सं. 1 व 2 के पिता के नाम से खड्मदारी के रूप में दर्ज थी तथा जागीर पुर्नगहण अधिनियम 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभावी होने के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए थे, तथा जागीरदारी उन्मुलन के पश्चात् जिस प्रकार से जागीरदारों के नाम की जगह राज्य सरकार भूमि धारक की हैसियत से अन्तः स्थापित हो चुकी तथा विपक्षी सं. 1 व 2 व उनके पिता राजस्व रेकार्ड के रिकार्डेड खातेदार होकर कब्जे काश्त करते चले आ रहे हैं।

12. यह कि विपक्षी सं. 1 व 2 के पूर्वज खड्मदारी अधिकार से कब्जे काश्त करते चले आ रहे है तथा जागीर भूमि में जागीर उन्मुलन के पश्चात् खड्मदारों को विधिवत् है कि वादग्रस्त भूमियां किसी प्रकार से जागीरदार की खुदकाश्त की भूमियां अथवा पुजारी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:29 IST
Reason: SelfAttested

रूप में दर्ज भूमियां नहीं है तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय एवं निर्देश पारित कर नाबालिग जागीरदार की माफी की भूमि जो खुदकाश्त की भूमिया नहीं है पर खड्मदारी के आधार पर प्रदत्त खातेदारी अधिकारों को पूर्णतया: वैध माना गया है इसके बावजूद भी तथाकथित वाद मित्रों द्वारा अपने अन्य स्कोर सेटल करने के उद्देश्य से महज विपक्षीगण को हैरान–परेशान करने की नियत से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

13. यह कि प्रार्थीगण के पूर्वजों को विधिवत् रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर विपक्षी सं. 1 व 2 को हस्ताक्षरित हुए है ऐसे मे वादी के तथाकथित वाद मित्रों के द्वारा निहायत ही मिथ्या कथन कर महज विपक्षीगण को हैरान परेशान करने की नियत से हस्तगत तुच्छ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई प्रार्थना हेतुक सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र से प्रोद्वभुत नहीं होता है। जिससे न तो प्रथम दृष्टया मामला न ही सुविधा संतुलन व न ही अपूरणीय क्षति के बिन्दू ही प्रार्थी के पक्ष में है विपक्षी सं. 2 रिकार्डेड खातेदार होकर उनके विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं।

14. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री सालगराम जी स्थानदेह नाबालिग मूर्ति की ओर से बिना माननीय न्यायालय की अनुमति के तथाकथित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि पूर्ण रूप से विधि द्वारा बाधिक होकर पूणतया: तथ्य विधि तथा राजस्व रिकार्ड से परे जाकर हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि इसकी प्रारम्भ अवस्था में ही निरस्तनीय हैं। वादग्रस्त भूमिया राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नगृहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने से पूर्व माफी की जागीरदार के रूप में भी सालगराम जी स्थानदेह के नाम पर माफी की जागीर के रूप में मेवाड राज्य के दौरान खड्मदारा कृषक के रूप में विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता भंवरदास वैरागी के नाम पर खडमदार कृषक के रूप में दर्ज थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीदार पुर्नगृहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत् खडमदारों को खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये तद्नुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 13 व 15 के अनुरूप विपक्षी सं. 1 व 2 के पिता भंवरदास जी को वादग्रस्त भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये जो कि पूर्ण रूप से विधि सम्मत् होकर समय समय पर माननीय राजस्व मण्डल एवं राजस्थान सरकार द्वारा निकाले गये परिपत्रों एवं माननीय राजस्व मण्डल के अनेकानेक निर्णयों में इस तथ्य एवं उक्त विधि की बारम्बार पुष्टि की गयी प्रमाण में भू–प्रबन्धक वि[illegible] क[illegible]र्द इतखिलाफ संख्या 493 जो कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दीयों की अग्रीम दस्ता[illegible] है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:29 IST
Reason: SelfAttested

को ही पूर्णत प्रदान करता है कि प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ संलग्न है जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार की सहायता विधिक रूप से नहीं प्राप्त हो सकती हैं। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्तनीय हैं।

15. यह कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कही भी अंकित नहीं किया कि विपक्षी सं. 1 व 2 के पिता को जो खातेदारी अधिकार प्रदत्त हुए वह किस प्रकार से तथ्य अथवा विधि से बाधित है प्रार्थना पत्र के द्वारा केवल मात्र राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से उक्त भूमियां भंवरदास जी के नाम से अंकित होने के सम्बन्ध में तथाकथित रूप से अंकित कर दिये गये जो कि न तो किसी तथ्य अथवा न ही किसी विधि से और न किसी राजस्व रिकार्ड से ही समर्थित है प्रार्थी के तथाकथित वाद मित्र उसके अन्य हेतुको की पूर्ति हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है जिस सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र से प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र हेतुक ही उत्पन्न नहीं होता है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्तनीय हैं।

16. यह कि विपक्षी सं. 1 व 2 के पिता को राजस्थान भूमि सुधार जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 1952 की धारा 9 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 13 व 15 से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। इससे पूर्व भी धारा 38 मेवाड माल कानून अधिनियम 2003 के अनुरूप उन्हे खडमदार के रूप में वादग्रस्त भूमियों के हस्ताक्षर के सभी विधिक अधिकार प्रदत्स है एवं राजस्थान सरकार के द्वारा भी इस सम्बन्ध में परिपत्र क्रमांक–3 (2) राज.–6/2007/14 दिनांक 24.05.2017 जारी कर इस प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण हेतु राजस्व न्यायालयों को दिशा निर्देश जारी किये गये है व जिसकी अनुपालना में भी हस्तगत प्रार्थना पत्र विधि द्वारा बाधित होकर इसी स्तर पर निरस्तनीय हैं।

17. यह कि प्रार्थी के प्रार्थना मित्र माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये है न ही उनका किसी प्रकार का सद्भाविक आशय ही रहा है, प्रार्थी के प्रार्थना मित्र शांतिदास द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए उसकी माता मांगीबाई एवं विपक्षी सं. 1 के मध्य अन्य प्रार्थना पत्र में अपने स्कोर सेटल करने हेतु दुर्भावना पूर्वक विपक्षीगण को हैरान परेशान करने हेतु फोल्स फिरीविलस एवं कॉनकोटेड तथ्यों एवं आधारों पर हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्य हेतुको की पूर्ति हेतु प्रस्तुत किया है जो कि इसी स्तर पर निरस्तनीय हैं।

18. यह कि विपक्षीगण ने कभी भी किसी प्रकार से धमकी नही दी है बल्कि प्रार्थीगण विपक्षीगण उनके कब्जे काश्त व उपयो[illegible] उप[illegible] करने में भारी दिक्कते पैदा कर रहे है व जबरन वर्णित आराजीयात से खुद बुद [illegible]ने पर उतारू हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:29 IST
Reason: SelfAttested

है कि हम विपक्षीगण का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

19. **विपक्षी सं. 3 द्वारा जवाब पेश कर** निवेदन किया कि गांव खेमली में श्री सालगरामजी का मन्दिर स्थित होकर पूरे गांव की आस्था जुडी हुई है। उक्त मन्दिर के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण को कभी भी नियुक्त नहीं किया है और न ही प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेज अथवा प्रमाण पेश किया है ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण के इन मौखिक कथनों पर किसी भी अवस्था में सही माना जाना सम्भव नहीं हैं। कानूनन भी प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र लाने की हैसियत नहीं रखते हैं। मैं विपक्षी अपनी खातेदारी अधिकार की कृषि भूमियों पर वक्त खरीद से अपने परिवारजन सहित शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक दखल अधिकार नहीं हैं।

20. यह कि मै विपक्षी आज भी अपनी क्रय सुदा खातेदारी अधिकार की कृषि भूमियों पर स्वतन्त्र रूप से परिवार सहित काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हूं जो भूमियां पूर्व में भंवरदास के नाम जरिये पुजारी की हैसियत से दर्ज नही थी बल्कि भंवरदास के नाम खडमदार की हैसियत से रेवेन्यु रेकार्ड में अंकित होने के आधार पर उक्त भूमियों के खातेदारी अधिकार भंवरदास को प्रदान किये गये और खातेदार अधिकार प्रदान होने से ही उक्त भूमियों पर भंवरदास का उपयोग उपभोग खातेदार की हैसियत से था जिसका भंवरदास को पूर्ण अधिकार प्राप्त था। प्रार्थीगण ने मनचाही दाद प्राप्त करने की गरज से सभी कथन मिथ्या एवं कपोल कल्पित अंकित कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं वाद अन्ततः सव्यय खारिज होगा।

21. यह कि उक्त भूमिया भंवरदास के नाम पर पुजारी की हैसियत से दर्ज नही थी बल्कि खडमदार की हैसियत से अंकित थी और खडमदार की हैसियत से दर्ज होने के कारण ही भंवरदास को इन भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे और रेवेन्यु रेकार्ड में भंवरदास के निधनोपरान्त उक्त भूमिया विरासत से उनके पुत्रों के नाम पर दर्ज हुई और पुत्रों के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होने पर पुत्रों द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करते हुए भूमिया हस्तान्तरित की और कब्जा हस्तान्तरित किया गया हैं। मुझ विपक्षी ने इस भूमि के खातेदार को पूर्ण प्रतिफल अदाकर उक्त भूमि रजि. विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की और कब्जा प्राप्त किया है जो भूमियां वर्तमान में मुझ विपक्षी के नाम खातेदार काश्तकार की हैसियत से रेवेन्यु रेकार्ड में अंकित हैं और मैं विपक्षी अपनी खातेदारी अधिकार की भूमियों पर वक्त खरीद से निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त कर रहा हूं और उपयोग उपभोग करता आ रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:29 IST
Reason: SelfAttested

हूं। उक्त भूमि के सम्बन्ध में विक्रय पत्र निष्पादित किये गये है वह खातेदारों द्वारा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर एवं कब्जा हस्तान्तरण कर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना निष्पादित किये गये है जो पूर्णतया वैध होकर प्रभावशाली है जो प्रार्थीगण के कहने मात्र से न तो नुमाईशी माने जा सकते है और न ही शुन्य व निष्प्रभावी माना जाना सम्भव है। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण उक्त भूमियों को श्री सालगराम जी स्थान देह की खातेदारी की घोषित कराने का अधिकार नहीं रखते है और न ही उक्त भूमिया श्री सालगराम जी स्थान देह की खातेदारी में घोषित की जा सकती हैं।

22. यह कि प्रार्थीगण का न तो प्राइमाफैसी केस है और न ही सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि उक्त भूमिया पूर्व में भंवरदास के नाम जरिये पुजारी की हैसियत से दर्ज नही थी बल्कि भंवरदास के नाम खडमदार की हैसियत से रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज थी और भंवरदास का नाम खडमदार की हैसियत से रेवेन्यु रेकार्ड में अंकित होने के आधार पर उक्त भूमियों के खातेदारी अधिकार भंवरदास को प्रदान किये गये और खातेदार अधिकार प्रदान होने से ही उक्त भूमियों पर भंवरदास का उपयोग उपभोग खातेदार की हैसियत से था तथा भंवरदास एवं उनके वारिसान को अपनी खातेदारी की उक्त भूमियों का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था और कानूनन प्राप्त अधिकार के तहत् भी उक्त भूमियो का हस्तान्तरण पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया हैं। मैं विपक्षी आज भी अपनी क्रयसुदा जमीन पर काबिज हूं और अन्य क्रेतागण भी उनकी भूमियों पर काबिज हैं। प्रार्थीगण का इस भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने मुझ विपक्षी को हैरान परेशान करने के आशय से सभी कथन मिथ्या व मनगढन्त अंकित कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण मेरे विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं है। मै विपक्षी इस भूमि का खातेदार काश्तकार हूं और कानूनन खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। यदि मेरे खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावेगी तो मै विपक्षी अपनी खातेदार अधिकार की भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम हो जाऊंगा जिससे मुझ विपक्षी को अतुलनीय व अपरिमित क्षति होगा जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंकना सम्भव नहीं होगा जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थीगण को न तो कोई क्षति हो रही है और न ही भविष्य में कोई क्षति होने वाली हैं।

23. यह कि प्रार्थीगण को मेरे विरूद्व दिनांक 20.08.2016 एवं 22.08.2016 को कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ है और न ही उत्पन्न होकर जारी है। प्रार्थीगण ने सभी कथन मिथ्या एवं मनगढन्त अंकित किये हैं। [illegible] श्री[illegible] से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:29 IST
Reason: SelfAttested

पत्र गलत, मिथ्या एवं कपोल कल्पित कथनों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

24. **विपक्षी सं. 4, 5 द्वारा जवाब पेश कर** निवेदन किया कि प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि इस मन्दिर की सम्पति के विकास, देखरेख एवं सार सम्भाल, सुरक्षा के लिए गांव के मौतबीरान ने प्रार्थीगण को नियुक्त कर रखा हो, व इस अधिकार के तहत् प्रार्थीगण ने यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया हो, बल्कि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण शांतिलाल व लोगर को इस मन्दिर की सम्पति के विकास, देखरेख, सार सम्भाल, सुरक्षा के लिए गांव से मौतबीरान व ग्रामवासियों द्वारा नियुक्ति नहीं की गई है, न ऐसा कोई प्रस्ताव ही लिया गया है प्रार्थीगण शांतिलाल व लोगर द्वारा विपक्षीगण को ब्लैकमेल करने की नियत से कथित वाद प्रस्तुत किया है जबकि शांतिलाल व लोगर को ऐसा वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। शांतिलाल खेमली का निवासी नहीं है तथा लोगर खटीक सालगराम जी स्थान देह का हित सोचने वाला व्यक्ति नहीं है। विपक्षीगण को ब्लैकमेल करने हेतु झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

25. यह कि परिशिष्ट अ, ब, स, द, य में वर्णित आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर क्या थे उसकी जानकारी हम विपक्षीगण को नहीं हैं। सालगराम जी स्थानदेह के पुजारी भंवरदास पिता नारायणदास जी वैरागी थे जो विवादित भूमि के खडमदार की हैसियत से काबिज थे। जागीर रिजम्पशन होने के समय खडमदार को खातेदारी दे दी गई है जो खातेदारी हक से भंवरदास पिता नारायणदास जी वैरागी काबिज चले आये हैं।

26. यह कि वास्तव में भंवरदास पिता नारायणदास जी वैरागी, विवादित भूमि के खडमदार थे जिन्हे खातेदारी दी गई है व खातेदारी की हैसियत से भंवरदास पिता नारायणदास जी ने विवादित आराजी पर काबिज चले आये है तथा भंवरदास की मृत्यु बाद भंवरदास जी के वारिस विपक्षी नम्बर 1 व 2 के नाम विरासत से खातेदारी में दर्ज की गई है तथा विपक्षी नम्बर 1 व 2 के नाम दर्ज होने के बाद में विपक्षी नम्बर 1 व 2 ने उक्त आराजीयात को कई व्यक्तियों को विक्रय कर दी हैं। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि विपक्षी नम्बर 1 व 2 ने परिशिष्ट द में अंकित भूमि को विपक्षी नम्बर 4 व परिशिष्ट य में अंकित भूमि को विपक्षी नम्बर 5 को नुमाईशी तौर पर विक्रय कर दी हो, बल्कि विपक्षी नम्बर 1 व 2 ने विपक्षी नम्बर 4 व 5 को परिशिष्ट द व य में अंकित आराजीयात को विक्रय नहीं की हैं। प्रार्थीगण ने गलत तथ्य अंकित किये हैं। विपक्षी नम्बर 4 ने परिशिष्ट द में अंकित आराजीयात खातेदार राकेश पिता रतनलाल जी, केसरबाई पत्नी रतनलाल जी, चौथमल पिता भंवरलाल जी, कन्हैयालाल पिता मोहनलाल जी जैन से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीख 23 [illegible] 199[illegible] के खरीद कब्जा प्राप्त किया है व इसी तरह परिशिष्ट य में अंकित आराजी विपक्षी नम्बर 5 ने श्री भंवरलाल, मोहनलाल पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:29 IST
Reason: SelfAttested

साब लाल जी जैन, निवासी खेमली से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से तारीख 26.05.1997 को खरीद कब्जा प्राप्त किया हैं। उक्त भूमि खरीदने की तारीख से विपक्षी नम्बर 4 व 5 खातेदारी हक से काबिल चले आ रहे है तथा राजस्व रेकार्ड में भी विपक्षी नम्बर 4 व 5 के नाम दर्ज हो चुकी हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षी नम्बर 4 व 5 के विक्रेतागण व उनके पूर्वाधिकारियों का अपने प्रार्थना पत्र में कोई जिक्र नहीं किया है जबकि ये आवश्यक पक्षकार है। विपक्षी नम्बर 1 व 2 द्वारा किये गये विक्रय पत्र वैध है तथा विपक्षी नम्बर 1 व 2 ने अपने अधिकारों के तहत् उक्त भूमि को विक्रय की है जिसे प्रार्थीगण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं हैं। सालगराम जी स्थान देह की सेवा पूजा भंवरदास जी के जीवनकाल में भंवरदास जी द्वारा की गई है तथा उनकी मृत्यु के बाद विपक्षी नम्बर 1 व 2 सेवा पुजा कर रहे हैं। प्रार्थीगण का इस मन्दिर से कोई लेना देना नहीं हैं। प्रार्थीगण को उक्त आराजी सालगराम जी स्थान देह के खातेदारी की घोषित कराने का कोई अधिकार नहीं है, न विपक्षी नम्बर 1 व 2 को पुजारी पद से हटवाने का अधिकार हैं।

27. यह कि भंवरदास पिता नारायणदास जी सालगराम जी स्थान देह के पुजारी थे व सेवा पूजा करते थे। विवादित भूमि भंवरदास जी के नाम खडमदार की हैसियत से दर्ज थी तथा जागीर रिजम्पशन के समय खडमदार को खातेदारी दे दी गई है जिससे भंवरदास विवादित भूमि का खातेदार की हैसियत से काबिज चला आया है व काश्त कर पैदावार लेता रहा है। भंवरदास की मृत्यु बाद उनके वारिसान विपक्षी नम्बर 1 व 2 में निहित हुई है व विपक्षी नम्बर 1 व 2 द्वारा उक्त आराजी को अपने अधिकारों के तहत् अलग–अलग विक्रय पत्र से अलग–अलग व्यक्तियों को विक्रय की गई है लेकिन प्रार्थीगण ने विक्रय पत्रों का स्पष्ट विवरण नहीं दिया हैं। विपक्षी नम्बर 4 व 5 को विपक्षी नम्बर 1 व 2 ने परिशिष्ट द व य में अंकित आराजी को विक्रय नहीं किया है।

28. यह कि प्रार्थीगण का कोई प्राईमाफैसी केस नहीं हैं। भंवरदास पिता नारायणदास जी वैरागी विवादित भूमि के खडमदार थे जिन्हे खातेदारी दी गई है। विपक्षी नम्बर 1 व 2 ने खातेदारी अधिकारों के तहत् अलग–अलग व्यक्तियों को विक्रय की हैं। विपक्षी नम्बर 1 व 2 ने विपक्षी नम्बर 4 व 5 को कोई विक्रय नहीं किया हैं। प्रार्थीगण हम विपक्षीगण के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से प्रार्थीगण को कोई नुकसान होने वाला नहीं है इसके विपरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने से विपक्षीगण को भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:29 IST
Reason: SelfAttested

29. यह कि प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व तारीख 20.08.2016, 22.08.2016 को कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीगण ने झूठे तथ्य अंकित किए हैं।

30. यह कि प्रार्थीगण जब तक विपक्षी नम्बर 4 व 5 के पूर्वाधिकारी विक्रेतागण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करा लेवे व पूर्वाधिकारियों को पक्षकार नहीं बना देवे, कथित प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

31. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

32. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 5 के नाम खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में विपक्षी सं. 1 से 5 खातेदार काश्तकार है, ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्व टी.आई नही दी जा सकती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन* — चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार विपक्षी सं. 1 से 5 है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्व साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व में निर्णित किया जाता है।

3. *अपूरणीय क्षति—* चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार विपक्षी सं. 1 से 5 है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

33. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 5 के नाम पर दर्ज है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम उनके पूर्वजों से विरासत से प्राप्त होकर दर्ज व विपक्षी सं. 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:29 IST
Reason: SelfAttested

से 5 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से पूर्ण प्रतिफल अदा कर भूमि क्रय करना बताया हैं। प्रार्थीगण द्वारा श्री सालगराम जी स्थान देह मन्दिर की सेवा चाकरी करने की हैसयित से उक्त भूमि में अपने खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार से सम्बन्धित तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के द्वारा तय किये जायेगे। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के विपक्षी सं. 1 से 5 खातेदार होने से इनको अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। यदि प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये गये है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2022.11.23 10:37:29 IST
Reason: SelfAttested